

21.7.23

उपखण्ड उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्यालय से बाहर हैं। कार्यालय पर है। पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 8.9.23 को पेश हो।

✓
रीडर

उपखण्ड अधिकारी, मण्डल

8.9.23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया अनुपस्थित वादिया एवं वादिया के अधिवक्ता को छिन्नी बाद केक-केक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। वकील वादिया के अनुपस्थित रहने पर वादिया का वाद पत्र अदम टाजरी/अदम पैरवी में स्वारीज किया जाता है। पत्रावली फॉल्ल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा